न्यायालय संभागीय आयुक्त कोटा संभाग, कोटा

(निर्णय बईजलास राजेन्द्र सिंह शेखावत आई0ए0एस0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्या : 08/2024/अपील/एलआरएक्ट/बून्दी
दायरा दिनांक : 08.01.2024
अन्तर्गत धारा : अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956

उनवान

रामावतार आत्मज स्व0 किशन जाति बैरवा, निवासी इन्द्रगढ़, जिला बून्दी

....अपीलांट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, इन्द्रगढ़, जिला बून्दी
2. नगरपालिका इन्द्रगढ़ जरिये अध्यक्ष, नगरपालिका इन्द्रगढ़, जिला बून्दी

....रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थित : श्री रघुवीर सिंह राठौड़, अभिभाषक –अपीलांट
पेरोकार सरकार –रेस्पो0 क्र. 1

:: निर्णय ::

दिनांक 09.04.2025

अपीलांट द्वारा राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा के प्रकरण संख्या 62/2008 में पारित निर्णय दिनांक 09.12.2010 के विरूद्ध भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 अन्तर्गत माननीय राजस्व मण्डल, राजस्थान अजमेर के यहां पेश की गई। माननीय राजस्व मण्डल द्वारा प्रकरण संख्या अपील/एलआर/1183/2011/बून्दी बउनवान रामावतार बनाम राजस्थान सरकार वगेराह में पारित निर्णय दिनांक 22.09.2022 से प्रकरण में अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 09.12.2010 आराजी खसरा सं0 70 रकबा 0.57 है0 भूमि की हद तक निरस्त करते हुए प्रकरण राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा को प्रतिप्रेषित किया जाकर निर्देश प्रदान किये गये कि पक्षकारान को सुनकर अपील का गुणावगुण पर निस्तारण किया जावे। राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा के द्वारा प्रश्नगत प्रकरण राज्य सरकार के आदेश क्रमांक :1(17) राजस्व-6/2019/112 दिनांक 17.10.2019 के द्वारा भू-राजस्व अधिनियम 1956 से संबंधित समस्त अपीलों का क्षेत्राधिकार राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा से न्यायालय संभागीय आयुक्त, कोटा स्थानान्तरित किये जाने से उक्त आदेश की पालना में अपील न्यायालय हाजा में पेश हुई।

1. प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि जिला कलक्टर, बून्दी ने अपने आदेश दिनांक 02.04.2008 के द्वारा आराजी खसरा सं0 595, 690, 67, 68, 70, 183, 214, 215, 216, 185 एवं 695 आबादी विस्तार हेतु आवंटन के प्रस्तावित प्रस्ताव अनुसार आराजी खसरा सं0 695 की किस्म माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय अनुसार प्रतिबंधित होने से उक्त खसरा नम्बर के अलावा

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

2.96 हैक्टर भूमि आवंटन किये जाने का आदेश पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक 02.04.2008 से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा पेश की गई अपील का संक्षिप्त सार इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो आदेश पारित किया है वह मौके की पूर्व जांच किये बिना ही पारित किया है। अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई एवं साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किये बिना ही उक्त आदेश पारित किया है। सिवायचक भूमि खसरा संख्या 70 क्षेत्रफल 0.57 है0 किस्म गै0मु. भटफोड़ ग्राम इन्द्रगढ़ तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी में स्थित है। उक्त भूमि पर अपीलांट एवं उसके पिता के पिछले 50 वर्षो से कब्जे में चली आ रही है। अपीलांट ने उक्त भूमि पर पक्के पट्टी, दो कमरे, बरामदा आदित निर्मित करवा रखे है। तहसीलदार, इन्द्रगढ़ ने आबादी विस्तार हेतु जिला कलक्टर बून्दी को राजकीय भूमि का प्रस्ताव भिजवाये जाने के पूर्व मौके की स्थिति की जांच नहीं की और काबिज व्यक्तियों के बाबत् कोई सूचना प्राप्त नहीं की गई। इस संबंध में संबंधित तहसीलदार को ग्रामवासियों से सुझाव एवं आपत्तियां प्राप्त की जानी चाहिए थी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त आदेश अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही पारित किया है। अपीलांट को उसकी माता श्रीमती केसर बाई को यह भूमि में से 20.06 X 13.6 वर्ग फीट जिसके 30.78 वर्ग गज भूमि नगरपालिका द्वारा दिनांक 24.06.1999 को उसके पुराने कब्जे के आधार पर नियमन किया गया है। इस कारण अपीलांट को आलौच्य आदेश पारिंत करने से पूर्व नोटिस दिया जाना आवश्यक व न्यायोचित था। अपीलाधीन आदेश की सर्वप्रथम जानकारी पटवारी हल्का से दिनांक 04.06.2009 को होने पर दिनांक 05.06.2009 को नकल प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करने पर नकल प्राप्त की जाकर अपील पेश की गई। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपील विषयक आदेश दिनांक 02.04.2008 को आंशिक रूप से निरस्त किया जाकर खसरा सं0 70 क्षेत्रफल 0.57 हेक्टयर ग्राम इन्द्रगढ़ जिला बून्दी के बाबत नगरपालिका इन्दग्रढ़ को आबादी विस्तार हेतु किया गया आवंटन आदेश निरस्त किया जावे।

2. माननीय राजस्व मण्डल द्वारा प्रकरण संख्या अपील/एलआर/1183/2011/बून्दी बउनवान रामावतार बनाम राजस्थान सरकार वगेराह में पारित निर्णय दिनांक 22.09.2022 से प्रकरण में अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 09.12.2010 आराजी खसरा सं0 70 रकबा 0.57 है0 भूमि की हद तक निरस्त करते हुए प्रकरण राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा को प्रतिप्रेषित किया जाकर निर्देश प्रदान किये गये कि पक्षकारान को सुनकर अपील का गुणावगुण पर निस्तारण किया जावे। राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा के द्वारा प्रश्नगत प्रकरण राज्य सरकार के आदेश क्रमांक :1(17) राजस्व–6/2019/112 दिनांक 17.10.2019 के द्वारा भू–राजस्व अधिनियम 1956 से संबंधित समस्त अपीलों का क्षेत्राधिकार राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा से न्यायालय संभागीय आयुक्त, कोटा स्थानान्तरित किये जाने से उक्त आदेश की पालना में अपील न्यायालय हाजा में पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण मे बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पो0 पेरोकार सरकार सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मे उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई एवं साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किये बिना ही उक्त आदेश पारित किया है। सिवायचक भूमि खसरा संख्या 70

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

क्षेत्रफल 0.57 है0 किस्म गै0मु. भटफोड़ ग्राम इन्द्रगढ़ तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी में स्थित है। उक्त भूमि पर अपीलांट एवं उसके पिता के पिछले 50 वर्षों से कब्जे में चली आ रही है। अपीलांट ने उक्त भूमि पर पक्के पट्टी, दो कमरे, बरामदा आदित निर्मित करवा रखे है। तहसीलदार, इन्द्रगढ़ ने आबादी विस्तार हेतु जिला कलक्टर बून्दी को राजकीय भूमि का प्रस्ताव भिजवाये जाने के पूर्व मौके की स्थिति की जांच नहीं की और काबिज व्यक्तियों के बाबत् कोई सूचना प्राप्त नहीं की गई। इस संबंध में संबंधित तहसीलदार को ग्रामवासियों से सुझाव एवं आपत्तियां प्राप्त की जानी चाहिए थी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त आदेश अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही पारित किया है। अपीलांट को उसकी माता श्रीमती केसर बाई को यह भूमि में से 20.06 X 13.6 वर्ग फीट जिसके 30.78 वर्ग गज भूमि नगरपालिका द्वारा दिनांक 24.06.1999 को उसके पुराने कब्जे के आधार पर नियमन किया गया है। इस कारण अपीलांट को आलौच्य आदेश पारित करने से पूर्व नोटिस दिया जाना आवश्यक व न्यायोचित था। अतः अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपील विषयक आदेश दिनांक 02.04.2008 को आंशिक रूप से निरस्त किया जाकर खसरा सं0 70 क्षेत्रफल 0.57 हेक्टयर ग्राम इन्द्रगढ़ जिला बून्दी के बाबत नगरपालिका इन्दग्रढ़ को आबादी विस्तार हेतु किया गया आवंटन आदेश निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया।

4. रेस्पो0 पेरोकार सरकार ने कथन किया कि जिला कलक्टर, बून्दी ने अपने आदेश दिनांक 02.04.2008 के द्वारा आराजी खसरा सं0 595, 690, 67, 68, 70, 183, 214, 215, 216, 185 एवं 695 आबादी विस्तार हेतु आवंटन के प्रस्तावित प्रस्ताव अनुसार आराजी खसरा सं0 695 की किस्म माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय अनुसार प्रतिबंधित होने से उक्त खसरा नम्बर के अलावा 2.96 हैक्टर भूमि आवंटन किये जाने का आदेश पारित किया गया, जो उचित है। इस प्रकार आवंटित भूमि राजकीय भूमि होने से अपीलांट का किसी प्रकार से हित निहित नहीं है। अतः अपील अस्वीकार की जाकर खारिज की जावे।

5. हमने अपील एव अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का गुणावगुण के आधार पर आध्योपांत अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पो0 पेरोकार सरकार पर मनन किया। प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने पर प्रकट होता है कि जिला कलक्टर, बून्दी ने अपने आदेश दिनांक 02.04.2008 के द्वारा आराजी खसरा सं0 595, 690, 67, 68, 70, 183, 214, 215, 216, 185 एवं 695 आबादी विस्तार हेतु आवंटन के नगर पालिका मण्डल, इन्द्रगढ़ के प्रस्तावित प्रस्ताव अनुसार आराजी खसरा सं0 695 की किस्म माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय अनुसार प्रतिबंधित होने से उक्त खसरा नम्बर के अलावा 2.96 हैक्टर भूमि आवंटन किये जाने का आदेश पारित किया गया। प्रश्न प्रकरण में अपीलांट का मुख्य तर्क रहा है कि राजकीय सिवायचक भूमि खसरा संख्या 70 क्षेत्रफल 0.57 है0 ग्राम इन्द्रगढ़ तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी में स्थित है, जिस पर पर अपीलांट एवं इसके पिता का पिछले 50 वर्षों से कब्जा चला आ रहा है। अपीलांट ने उक्त भूमि पर पक्के पट्टी, दो कमरे, बरामदा आदित निर्मित करवा रखे है। तहसीलदार, इन्द्रगढ़ ने आबादी विस्तार हेतु जिला कलक्टर बून्दी को राजकीय भूमि का प्रस्ताव भिजवाये जाने के पूर्व मौके की स्थिति की जांच नहीं की और काबिज व्यक्तियों के बाबत् कोई सूचना प्राप्त नहीं की गई। नगरपालिका के द्वारा उक्त खसरा नम्बरान की भूमि नहीं चाही गयी थी। अपीलांट को उसकी माता श्रीमती केसर बाई को यह भूमि में से 20.06 X 13.6 वर्ग फीट जिसके

30.78 वर्ग गज भूमि नगरपालिका द्वारा दिनांक 24.06.1999 को उसके पुराने कब्जे के आधार पर नियमन किया गया है। इस कारण अपीलांट को आलौच्य आदेश पारित करने से पूर्व नोटिस दिया जाना आवश्यक व न्यायोचित था। उपरोक्त विवेचनानुसार अपीलांट के उपरोक्त तर्क के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने पर स्पष्ट होता है कि अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका इन्द्रगढ़ (बून्दी) के द्वारा पत्रांक 3766 दिनांक 27.02.2006(31.03.2006) से संलग्न सूची (सूची के क्र. सं. 15 पर खसरा सं0 70 रकबा 0.57) अनुसार सिवायक भूमि आबादी विस्तार हेतु आवंटन करने बाबत् जिला कलक्टर, बून्दी से अनुरोध किया गया। तत्पश्चात् जिला कलक्टर, बून्दी के द्वारा पत्रांक राजस्व–II/06/1007 दिनांक 24.04.2006 से तहसीलदार इन्दग्रढ़ को प्रेषित करते हुए अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका इन्द्रगढ़ (बून्दी) के द्वारा पत्रांक 3766 दिनांक 27.02.2006(31.03.2006) के संदर्भ में आवंटन के प्रस्ताव तैयार कर भिजवाने हेतु लिखा गया। इसके उपरांत जिला कलक्टर, बून्दी के पत्रांक प.12–3(72)राजस्व11/06/3861 दिनांक 29.09.2007 से नगर पालिका इन्द्रगढ़ की आबादी विस्तार हेतु प्रस्ताव चाहे जाने पर तहसीलदार (भू.अभि.) इन्द्रगढ़ के द्वारा अपने पत्र दिनांक 28.12.2007 जिला कलक्टर, बून्दी को प्रस्ताव प्रेषित किये गये। जिसके अनुसार निर्धारित प्रपत्र के बिन्दु संख्या 7 (क्या प्रस्तावित भमि पर अतिक्रमण है?) में रिपोर्ट पटवारी अनुसार अतिक्रमण होने का उल्लेख किया गया है। जमाबन्दी संवत् 2062–2065 में खसरा सं0 70 रकबा 0.57 है0 राजकीय भूमि सिवायचक दर्ज है। इस प्रकार आवंटित भूमि राजकीय सिवायचक भूमि दर्ज रिकोर्ड होने तथा आवंटित भूमि राजकीय सिवायचक खसरा सं0 70 रकबा 0.57 है0 पर कब्जे के आधार पर अपीलांट का किसी प्रकार से हित निहित नहीं होना प्रकट होता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में तहसीलदार (भू.अभि.) इन्द्रगढ़ से प्राप्त प्रस्ताव अनुसार संलग्न निर्धारित प्रपत्र एवं आवश्यक दस्तावेज मौका रिपोर्ट, जमाबंदी, एवं खसरा गिरदावरी का समुचित परीक्षण कर प्रावधान अनुसार विधिक प्रक्रिया का पालना करते हुए निर्णय दिनांक 02.04.2008 पारित किया जाना प्रकट होता है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्यायोचित होने से अपील प्रकरण में हम किसी प्रकार का विधिक एवं तथ्यात्मक दोष नहीं पाते है। परिणामस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन/बलहीन होने से खारिज की जाती हैं।

6. निर्णय आज दिनांक 09.04.2025 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
संभागीय आयुक्त
संभाग कोटा
कोटा